>

Title: The Minister of Rural Devlopment laid the statement regarding Status of implementation of Natioal Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) ः महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

एनआरईजीए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने और टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (जनवरी 2009 तक) 3.81 करोड़ परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है जो कि 2007-08 की उसी अवधि के दौरान मुहैया कराए गए रोजगार से 2.57औ अधिक है । एसजीआरवाई के पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की तुलना में एनआरईजीए के अंतर्गत श्रमदिवसों की संख्या बढ़ी है । एसजीआरवाई के अंतर्गत पूरे देश में एक वर्ष में औसतन 81 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए थे, जबकि एनआरईजीए के अंतर्गत 2006-07 में 200 जिलों में 90.5 करोड़ श्रम दिवस, 2007-08 में 330 जिलों में 143.59 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए थे और जनवरी, 2009 के मध्य तक पूरे देश में 157.24 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए हैं जो कि पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की तुलना में 88औ वृद्धि को दर्शाता है । सृजित रोजगार में महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जातियों (30औ), अनुसूचित जनजातियों (25औ) और महिलाओं (48औ) का है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 22 लाख कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें से 46औ कार्य जल संरक्षण, 18औ कार्य ग्रामीण सड़क संपर्क और 15औ कार्य भूमि विकास से संबंधित हैं । सिंचाई सुविधा, भूमि विकास और पौधरोपण जैसे एनआरईजीए कार्यों से अनुसूचित

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-10636/09.

जाति/अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आईएवाई के ऐसे 4.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं जिनके पास अपनी भूमि है ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 30,000 करोड़ रु0 के संशोधित बजट आवंटन की तुलना में 25,390 करोड़ रु0 की राशि रिलीज कर दी गई है । राज्यों ने अब तक 19341 करोड़ रु0 का उपयोग किए जाने की जानकारी दी है ।

इस वक्तव्य के जरिए, मैं माननीय सदस्यों को एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के और साथ ही उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताओं बारे में भी अवगत कराना चाहूँगाः

एनआरईजीए के परिणामस्वरूप अत्यधिक वित्तीय समावेशन हुआ है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों के लिए बैंकों/डाकघरों में 6.15 करोड़ खाते खोले गए हैं । एनआरईजीए कर्मियों के लिए मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है ।

एक व्यापक वेब-आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली बनाई गई है जिसमें वित्तीय और कार्यक्रम निष्पादन संकेतक संबंधी सभी आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है । वेबसाइट पर 1.2 करोड़ मस्टर रोल और 6.1 करोड़ जॉबकार्ड डाले गए हैं ।

कड़ी सतर्कता एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान किया गया है । अब तक 2.20 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई है और 111 लाख मस्टर रोलों की जाँच की गई है ।

मंत्रालय ने एनआरईजीए के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित जाँच निर्धारित की है । अब तक जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा 2.99 लाख कार्यों तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा 17.38 लाख कार्यों की जाँच की गई है।

एनआरईजीए ने कर्मियों की क्षमता का निर्माण करके, अत्यधिक श्रमशक्ति, आईसीटी सहायता देकर और पीआरआई के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारसंपन्न बनाया है । ग्राम पंचायत स्तर पर 1.96 लाख ग्राम रोजगार सहायकों को नियुक्ति की गई है और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर 23501 तकनीकी स्टाफ, 7070 डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा 5574 लेखाकारों सहित तकनीकी स्टाफ का एक पूल तैनात किया गया है ।

जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामस्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के लगभग 7.41 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

मंत्रालय ने 21-22 जनवरी, 2009 को "ग्रामीण निर्धनताः सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख पहलें और

एनआरईजीए की भूमिका" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया । इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से कुछ सीखने और कार्यक्रम का डिजाइन विकसित करने का प्रयास किया गया था । सेमिनार में 13 राष्ट्रों के शिष्टमंडलों ने हिस्सा लिया और एनआरईजीए की सराहना की ।

मंत्रालय ने आईसीएआर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से समामेलन दिशानिर्देश जारी किए हैं । स्थायी आजीविका सृजित करने की दृष्टि से एनआरईजीए और पीएमजीएसवाई के साथ समामेलन संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं । जल संसाधन मंत्रालय के साथ समामेलन दिशानिर्देश जारी करने का कार्य चल रहा है ।

सरकार ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्कृष्ट योगदानों की सराहना करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार, एनआरईजीए प्रशासन में उत्कृष्टता (जिला अवार्ड) और एनआरईजीए प्रशासन (वित्तीय समावेशन) में उत्कृष्टता की शुरूआत की है । पहली बार 02 फरवरी, 2009 को सम्पन्न एनआरईजीए सम्मेलन में 5 सिविल सोसायटी संगठनों, 22 जिला कार्यक्रम समन्वयकों और 12 डाक अधिकारियों को ये अवार्ड दिए गए थे जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा की गई थी । इस अवसर पर 3 दस्तावेजों अर्थात लोगों के लिए रिपोर्ट, रोजगार सूत्र और सरपंच पुस्तिका का भी विमोचन किया गया था ।